मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 07 /08/2023

क्रमांकःF-1/1/3/0003/2023/sec-1-10, राज्य शासन एतद्द्वारा वन विभाग अंतर्गत उप वनक्षेत्रपाल को वनक्षेत्रपाल का उच्चतर पद का कार्यवाहक प्रभार दिये जाने हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करता हैः-

2/ **उप वनक्षेत्रपाल को वनक्षेत्रपाल का उच्चतर पद का ''कार्यवाहक प्रभार'' दिये जाने प्रकियाः-**

1. वनक्षेत्रपाल पद का ''कार्यवाहक प्रभार'' दिये जाने हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर राज्यस्तरीय छानबीन समिति बनाई जावेगी। समिति द्वारा तैयार कार्यवाही विवरण को शासन के अनुमोदन उपरान्त कार्यवाहक प्रभार का आदेश मुख्यालय स्तर से जारी किया जावेगा।
2. पात्र एवं योग्य कर्मचारियों के निर्धारण के लिये राज्य स्तर पर गठित छानबीन समिति में कम से कम एक सदस्य अजा/अजजा वर्ग का होगा।
3. कार्यवाहक प्रभार प्राप्त वनकर्मियों का वेतन पदस्थ वनमण्डल/इकाई में स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध आहरण किया जायेगा।
4. वनक्षेत्रपाल एवं उपवनक्षेत्रपाल के पद राज्य स्तरीय होने से ''कार्यवाहक प्रभार'' वर्तमान वनमण्डल/इकाई अंतर्गत रिक्त पद न होने पर अन्य वनमण्डल/इकाइयों में रिक्त पद पर किया जावेगा।
5. कार्यवाहक के रूप में प्रभार पर रहने पर उपवनक्षेत्रपाल की वरीयता राज्य स्तर पर मूल पद अनुसार ही संधारित की जायेगी।

3/ **उप वनक्षेत्रपाल को वनक्षेत्रपाल के रूप में उच्चतर पद का स्थानापन्न प्रभाव से ''कार्यवाहक'' प्रभार दिये जाने हेतु "पात्रता" की शर्तेः-**

1. म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24.01.2008 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार "समयमान वेतनमान" के पात्र शासकीय सेवक ही उच्चतर पद का कार्यभार प्राप्त करने के पात्र होंगे।
2. ''कार्यवाहक प्रभार'' के लिये उपवनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल की पात्रता हेतु विगत पांच वर्षो में संनिष्ठा पर संदेह नहीं होना चाहिए। संसूचित नहीं हुई टिप्पणी/संदेह को ''प्रभार'' दिये जाने में बाधक नहीं माना जावेगा।
3. यदि किसी कर्मचारी को दो या दो से अधिक समयमान वेतनमान भी मिल गये है तो भी उसे मात्र अगले उच्चतर पद का ही प्रभार दिया जावेगा।
4. आधारभूत प्रशिक्षण एवं आवश्यक विभागीय परीक्षा (यदि कोई हो तो) उत्तीर्ण होने पर ही पात्रता होगी।

5. यदि कोई उप वन क्षेत्रपाल "कार्यवाहक प्रभार" के लिये पात्र पाये गये कर्मचारियों की सूची में आने के बाद किसी भी कारण से "प्रभार" प्राप्त करने से इंकार करता है या निर्धारित समयावधि में वनमण्डल में उच्चतर पद पर प्रभार ग्रहण करने के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसका नाम पात्रता सूची से सक्षम प्राधिकारी द्वारा हटाया जाकर प्रभार आदेश निरस्त किया जा सकेगा और फिर अन्य पात्र कर्मचारियों को यह अवसर प्रदान किया जावेगा। यदि भविष्य में ऐसा कर्मचारी पुनः उच्च पद का ''कार्यवाहक'' प्रभार प्रदान किये जाने का आवेदन देता है तो प्रकरण पुनः ''छटनी समिति'' को भेजा जायेगा और तदानुसार प्राप्त प्रतिवेदन एवं तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. ''कार्यवाहक प्रभार'' वाले उप वन क्षेत्रपाल को अपने पदनाम के साथ ''कार्यवाहक'' शब्द का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रत्येक वनमण्डल/इकाई में ऐसे कर्मचारियों की पृथक सूची संधारित की जावेगी।
7. ''कार्यवाहक प्रभार'' वाले उप वन क्षेत्रपाल अपने "कार्यवाहक" पद के सभी अधिकार एवं दायित्वों का व्यवहरण करने में सक्षम होंगे। (वनक्षेत्रपाल को विभिन्न अधिनियमों/नियमों में प्रदत्त विधिक शक्ति को छोड़कर)
8. ''कार्यवाहक प्रभार'' धारण करने की अवधि में उच्च कार्यवाहक पद की वर्दी धारण कर सकेंगे, किन्तु उन्हें इसके लिये अतिरिक्त गणवेश अनुदान भत्ता इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
9. ''कार्यवाहक प्रभार'' में उच्च पद पर कार्य करने वाले उपवनक्षेत्रपाल वही अन्य सभी भत्ते प्राप्त करने के पात्र होंगे जिसे वह ''कार्यवाहक प्रभार'' प्राप्त करने से ठीक पूर्व प्राप्त कर रहे थे। किसी अन्य अतिरिक्त या उच्चतर वेतन या वेतनमान या वेतनवृद्धि या भत्ते की पात्रता नहीं होगी। ''दोहरा कार्य भत्ता'' की भी पात्रता नहीं होगी।
10. ''कार्यवाहक प्रभार'' में उच्च पद पर कार्य करने वाले उप वन क्षेत्रपाल को दण्ड देने या उसके विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित करने एवं उनके वार्षिक कार्य के मूल्यांकन (ए.सी.आर) की प्रक्रिया धारित उच्चतर कार्यवाहक प्रभार के अनुरूप होगी।
11. ''कार्यवाहक प्रभार'' दिये जाने का आदेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना/सुनवाई के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जाकर संबंधित को कार्यवाहक प्रभार से मुक्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में उक्त कर्मचारी पदस्थ वनमण्डल/इकाई अंतर्गत ही पूर्वानुसार निम्न पद पर पदस्थ किया जावेगा।
12. ''कार्यवाहक प्रभार'' ग्रहण करने वाले किसी भी उप वन क्षेत्रपाल को भविष्य में पदोन्नति के विचारण में कार्यवाहक पद की वरीयता का कोई अधिकार नहीं होगा।

13. न्यूनतम 02 वर्ष तक कार्यवाहक प्रभार वाले पदस्थ स्थान पर कार्यरत रहना अनिवार्य होगा। शिकायती जांच के परिणामस्वरूप प्रथम दृष्ट्या दोषयुक्त पाये जाने पर संबंधित उप वन क्षेत्रपाल को कार्यभारित प्रभार से हटाया जा कर जहां कार्यरत है उसी वनमण्डल/इकाई में पूर्वानुसार निम्न पद पर पदस्थ किया जावेगा।
14. कार्यवाहक परिक्षेत्र अधिकारी के क्षेत्र अंतर्गत आवश्यकता होने पर विधिक शक्तियों के उपयोग हेतु वनमण्डलाधिकारी समीपस्थ पदस्थ वनक्षेत्रपाल को अधिकृत कर सकेंगे।
15. "कार्यवाहक" तौर पर उच्च पद का पदभार प्राप्त करने वाले उप वन क्षेत्रपाल इस आशय का स्वलिखित घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार का अपराधिक प्रकरण एवं अन्य कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
16. "कार्यवाहक" पद प्राप्त करने वाले उप वनक्षेत्रपाल उच्च पद के प्रभार से संबंधित ही कार्य करेंगे। पद परिवर्तन/संविलियन किसी भी दशा में नहीं किया जावेगा।
17. कार्यवाहक प्रभार संबंधी दिशा निर्देश/आदेश कभी भी बिना कारण बताये, बिना पूर्व सूचना के निरस्त/संशोधित किये जा सकते हैं।
18. "कार्यवाहक" तौर पर उच्च पद का पदभार ग्रहण करने वाले प्रत्येक उप वन क्षेत्रपाल को अपनी पूर्व लिखित अभिस्वीकृति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि उसे इस संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पूरी तरह से मान्य है।
19. "कार्यवाहक" के रूप में की गई पदस्थिति पर यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

उक्त स्वीकृति शासन से जारी आगामी आदेश तक लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

8/8/23

(अशोक कुमार)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

निरन्तर.....

पृ.कमांक एफ 1/1/3/0003/2023/ Sec-1-10, भोपाल, दिनांक 08/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.।
2. विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन-।।, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
5. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

8/8/23

अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्यप्रदेश,सतपुडा भवन, भोपाल
(शाखा प्रशासन-।।)

दूरभाष-0755-2674238 (का.) ईमेल-apccfng@mpforest.org; apccfng@mp.gov.in

---

पृष्ठां. क्रमांक/प्रशा.।।/गो.स्था.-5/2023/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः- (1) समस्त मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित।

(2) समस्त वनमण्डलाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित।

09.08.23

(एच.एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।।)
मध्यप्रदेश, भोपाल

09.08.23